

क्रमांक / मा.चि. / 5749
प्रति,

बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/19/2019

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण संभाग मनेन्द्रगढ़ (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non - forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Amarpur to Chirmiri Road Widening & Upgrading area 10.469 ha. Regarding.

- संदर्भ:-
01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/वसं.अ) छ0ग0 रायपुर पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विविध/ 115 - 705 / 1969 दिनांक 06.08.2019
 02. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क.- 89 / 2019 / 967 दिनांक 14.06.2019



विषयांतर्गत लेख है कि अमरपुर चिरमिरी रोड के चौड़ीकरण करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृति का प्रस्ताव नोडल अधिकारी छ0ग0 रायपुर की ओर प्रेषित किया गया था ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/वसं.अ) - 1980 छ0ग0 रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है जिसमें से बिन्दु क्रमांक 02 आपके विभाग से संबंधित है । इस बिन्दु में यह आपत्ति ली गई है कि प्रस्ताव के पृष्ठ क्र0 24 में रोड चौड़ीकरण के विस्तृत प्राक्कलन में मार्ग की लम्बाई 16 कि.मी. बताई गई है, जबकि DGPS Survey रिपोर्ट में रोड की लम्बाई 12.400 कि.मी. है। तत्संबंध में अन्तर का कारण वरिष्ठ कार्यालय द्वारा चाहा गया है ।

उक्त वांछित जानकारी तत्काल इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि जवाब अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/वसं.अ) - 1980 छ0ग0 रायपुर को प्रेषित किया जा सके ।

संलग्न :- संदर्भित पत्र क्र0-01 की छायाप्रति ।

पू0 क्रमांक / मा.चि. / 5750
प्रतिलिपि :-

वनमण्डलाधिकारी,
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर
बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/19/2019

मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी,
कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

o/c